निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 494) पटना, मंगलवार, 21 अप्रील 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

16 अप्रील 2015

सं0 वि०स०वि०-04/2015-1806/ वि०स० ।—''बिहार वित्त विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 16 अप्रील, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

बिहार वित्त विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-04/2015]

प्रस्तावना–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) एवं बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा–4, जो कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से संबंधित है, में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।– (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग –1

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) की धारा–2 की उप–धारा (u) का प्रतिस्थापन एवं इसका विधिमान्यकरण –(*1*) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) की धारा–2 की उप–धारा (u) को, दिनांक 23 जून, 2005 के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

'(u) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं इसमें वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट पर अपलोड की गई अधिसूचना शामिल है;

(2) विधिमान्यकरण– उक्त अधिनियम की धारा–2 की उप–धारा (u) में किया गया संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु 2005 के जून की तेईसवीं तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझा जायेगा।

(3) व्यावृत्ति– (*i*) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जाएगी या समझा जाएगा एवं सदैव समझी जायेगी या समझा जाएगा मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त था तथा, तद्नुसार, कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जायेगी या किया गया समझा जाएगा एवं किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतायी गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूले गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–2 की उप–धारा (u) में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 2 की उप–धारा (u) के साथ पठित धारा 3 के अनुरूप वसूली जा सकेगी।

(*ii*) शंकाओं के निराकरण हेतु एतत् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नही होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–62 में संशोधन।–

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) की धारा–62 की उप–धारा (*1*) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा–

''62. बिहार राज्य से होकर माल का परिवहन– (1) यदि किसी माल का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा बिहार राज्य के बाहर के किसी स्थान से अन्य किसी ऐसे स्थान पर किया जा रहा है और माल को ढोने वाला वाहन, राज्य के राज्यक्षेत्र से गुजरता है, तो चालक या वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति राज्य में प्रवेष करने के पश्चात् मार्ग में पड़ने वाली प्रथम जाँच–चौकी के प्राधिकारी से विहित रीति से अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करेगा और राज्य को छोड़ने के पूर्व अंतिम जाँच–चौकी के प्राधिकारी को वही अभिवहन अनुज्ञा समर्पित करेगा और मार्ग में पड़ने वाली प्रथम जाँच–चौकी को छोड़ने के बहत्तर घंटे से अनधिक परंतु चौबीस घंटे से अन्यून ऐसी अवधि जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा

निर्दिष्ट करे, के भीतर ऐसा न करने की दषा में यह समझा जायेगा कि इस प्रकार परिवहित किया गया माल वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा बिहार राज्य के भीतर बेच दिया गया है।''

4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में एक नयी धारा–46क का अंतःस्थापन–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–46 के बाद निम्नलिखित नयी धारा–46क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा–

''46क– वसूली कोषांग– (1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर आवष्यकतानुसार इतने वसूली कोषांगों का गठन कर सकेगी तथा इसमें इतने कर्मचारी एवं इतने पदाधिकारियों की संख्या तथा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का ऐसा सोपान होगा जो राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय;

परन्तु यदि धारा– 10 की उप–धारा– (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी इस तरह विनिर्दिष्ट किये जाते है तो, वे धारा– 10 की उप–धारा– (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने में धारा– 39, धारा– 46, एवं धारा–47 के अधीन प्राधिकारी के शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(2) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, वसूली कोषांग के किसी पदाधिकारी को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन पुलिस स्टेशन के प्रभारी पदाधिकारी की शक्तियाँ तथा विभिन्न अधिनियमों के अधीन ऐसी अन्य शक्तियाँ, जैसा वह आवश्यक समझे, निहित कर सकेगी।

(3) आयुक्त, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर वसूली कोषांग के किसी पदाधिकारी को, आदेश में विनिर्दिष्ट मामलों में धारा– 10 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) वसूली कोषांग आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो आयुक्त द्वारा उन्हें सौंपे जाय।''

5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–11 में संशोधन।–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–11 में शब्द ''धारा–10'' के ठीक बाद शब्द एवं अंक ''या धारा–46क'' जोड़े जाएंगे।

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–12 में संशोधन।–

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–12 की उप–धारा (1) में शब्द ''धारा–10'' के ठीक बाद शब्द एवं अंक ''या धारा–46क'' जोड़े जाएंगे।

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–46 में संशोधन।–

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–46 की उप–धारा (2) में शब्द ''सभी उपबंध'' के ठीक बाद शब्द ''और नियम'' जोड़े जाएंगे।

भाग–2

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) में संशोधन।

8. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–2 में संशोधन।– (*1*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–2 की उप–धारा (*1*) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981'' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(*2*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा– 2 की उप–धारा (*1*) का खण्ड (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''व्यौहारी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियमित रूप से या अन्यथा, कारबार के अनुक्रम में विक्रय करता है, क्रय करता है, प्रदाय करता है, वितरण करता है या माल के ऐसे क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण से आनुषांगिक कोई कार्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, चाहे नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए करता है और इसमें ये शामिल हैं,–

(क) स्थानीय प्राधिकारी;

(ख) हिन्दू अविभक्त परिवार;

(ग) कंपनी या कोई सोसाइटी (जिसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी शामिल है), क्लब, फर्म, व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जो ऐसा कारबार करता है;

(घ) कोई सोसाइटी (जिसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी शामिल है), क्लब, फर्म या संगम, जो अपने सदस्यों से माल का क्रय करता है या उनको माल का विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है;

(ङ) कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग या व्यवसाय उपक्रम, जो चाहे केन्द्रीय सरकार का या राज्य सरकारों में से किसी एक का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का हो या नहीं हो ;

(च) कोई आकस्मिक व्यापारी;

(छ) कोई कमीशन अभिकर्ता, दलाल, फैक्टर कोई प्रत्यायक अभिकर्ता, कोई नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वामी की ओर से माल के विक्रय, क्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है।

स्पष्टीकरण–I – प्रत्येक व्यक्ति, जो बिहार राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यौहारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है अथवा ऐसे व्यौहारी की ओर से निम्नलिखित रूप में–

(क) कमीशन अभिकर्ता, दलाल, फैक्टर, किसी प्रत्यायक अभिकर्ता, किसी नीलामकर्ता या किसी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; या

(ख) माल या माल के हक दस्तावेजों को संभालने के लिए अभिकर्ता;

(ग) माल की क्रय कीमत के संग्रहण या संदाय के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रहण या संदाय के लिए प्रत्याभूतिदाता; या

(घ) राज्य के बाहर अवस्थित फर्म या कंपनी की एक स्थानीय शाखा का कार्य करता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक व्यौहारी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण– II –कोई सरकार, जो कारबार के सिलसिले में या अन्यथा, नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, माल खरीदती, बेचती, आपूर्ति करती हो या वितरित करती हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वह व्यौहारी समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण– III – प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के अन्दर के किसी क्रेता अथवा आयातक को किसी इलेक्ट्रॉनीक वाणिज्य अथवा अन्यथा माध्यम से अनुसूचित मालों के आपूर्ति अथवा सुपूर्दगी के व्यवसाय से संबद्ध हो, को इस अधिनियम के बावत व्यौहारी माना जाएगा।

(*3*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–2 की उप–धारा (*2*) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981 '' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3 में संशोधन।– (*1*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा– 3 की उप–धारा (*2*) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981'' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(*2*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3 की उप–धारा (*2*) के प्रथम परंतुक में प्रयुक्त शब्द ''पच्चीस हजार'' शब्द ''एक हजार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(*3*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 3 की उप–धारा (*2*) के तृतीय परंतुक में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा–7 की उप–धारा (*3*), बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अधीन कर देयता में कटौती'' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–7, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर देयता में कटौती'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3क का प्रतिस्थापन।– बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी –

''3क. राज्य सरकार को अनुसूची में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति– (*1*) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के अनुसूची को संशोधित अथवा परिवर्तित कर सकेगी या इसमें किसी भी चीज को जोड़ सकेगी।''

(2) विधिमान्यकरण– उक्त अधिनियम की धारा–3क में संशोधन सभी प्रयोजनों हेतु 2006 के अगस्त की उनतीसवीं तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझा जायेगा।

(3) व्यावृत्ति– (*i*) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी एवं सदैव समझी जायेगी मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त था तथा, तद्नुसार, कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जायेगी एवं किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतायी गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूले गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 3क में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3क के साथ पठित धारा–3 के अनुरूप वसूली की जा सकेगी।

(*ii*) शंकाओं के निराकरण हेतु एतत् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नही होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

11. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) के अधीन एक नई धारा 3कक अंतःस्थापित किया जाना। – बिहार अधिनियम 16, 1993 की धारा 3क के बाद निम्नलिखित एक नई धारा 3कक अंतःस्थापित की जाएगीः–

''3कक. आयातकों से कतिपय मामलों में कर संग्रहण – (1) अधिनियम के अधीन किसी अन्य बात के रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक कामर्स अथवा अन्यथा माध्यम से अनुसूचित मालों के आपूर्ति अथवा सुपुर्दगी के व्यवसाय से संबद्ध हो, राज्य के अन्दर के किसी क्रेता अथवा आयातक को जो इस अधिनियम के अधीन निबंधित नहीं है, को अनुसूचित मालों की सुपूर्दगी के पहले अथवा सुपुर्दगी के समय अनुसूचित मालों के ऐसे क्रेता अथवा आयातक से अनुसूचित मालो पर विहित दर से देय प्रवेश कर की वसूली करेगा।

(2) अनुसूचित मालों के इस प्रकार की कोई सुपुर्दगी, उप–धारा (1) के अधीन वसूल किये जाने वाले प्रवेश कर की वसूली के बिना, नही की जाएगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन कर वसूली की शक्ति वसूली के किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(4) उप–धारा (1) के अधीन किसी राशि को संग्रहित करने वाला व्यक्ति या व्यौहारी संग्रहित राशि को, विहित समय के भीतर अधिनियम के अधीन कर जमा करने की विहित रीति से, सरकारी खजाने में जमा करेगा।

(5) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–40 की उप–धारा (3), उप–धारा (4), उप–धारा (5) एवं उप–धारा (6) के कर–संग्रह, जमा, एवं ऐसा कर–संग्रह करनेवाले व्यक्ति या व्यौहारी के उत्तरदायित्व, दायित्व का निर्वहन, शास्ति–अधिरोपन एवं वसूली से संबंधित प्रावधान, उप–धारा (1) के प्रावधानों के अधीन संग्रहित राशि के सम्बन्ध में, यथा आवष्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(6) इस धारा के प्रावधानों के अधीन कर–संग्रह करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी ऐसी अवधि के भीतर जो विहित किया जाय, इस आशय का प्रमाण पत्र क्रेता को निर्गत करेगा कि कर का उदग्रहण हो चुका है और जिस दर पर कर संग्रहित किया गया है ऐसे संग्रहित कर की राशि और ऐसे विवरण जो विहित किये जायँ, को उसमें विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) इस धारा के प्रावधानों के अधीन कर–संग्रह करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी, प्रत्येक माह, त्रैमास एवं वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित अवधि में, विहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसी विवरणी उस प्रपत्र में ऐसा विवरण अंकित कर और इस प्रकार सत्यापित करते हुए उस अवधि के भीतर, दाखिल करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(8) उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी संचालित किये गये अनुसूचित मालो एवं उनके स्वामित्व के कागजातों के सम्बन्ध में सही एवं पूर्ण लेखा, पंजी एवं कागजात जो विहित किए जायें, संधारित करेगा और ऐसे लेखा, पंजी एवं कागजात विहित प्राधिकारी के समक्ष आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

(9) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर संग्रहण हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी अधिनियम की धारा 5 के अधीन विहित रीति से निबंधन हेतु आवेदन देगा एवं अधिनियम के तहत निबंधन प्राप्त करेगा।

12. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–7 में संशोधन– (*1*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–7 की उप–धारा (*4*) में प्रयुक्त शब्द ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981(बिहार अधिनियम 5, 1981)'' को ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 8 का प्रतिस्थापन– बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

''8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों का लागू होना –

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) के अन्तर्गत विवरणियों की संवीक्षा, अंकेक्षण, सर्वे, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण एवं कर, सूद, जुर्माना तथा शास्ति अदायगी को लागू करने के लिये प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विवरणियों की संवीक्षा, अंकेक्षण, सर्वे, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण एवं कर, सूद, जुर्माना तथा शास्ति अदायगी की

कार्रवाई कर सकेगा, और उसके लिये वह उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के अन्तर्गत तत्समय उनको प्रदत्त सभी अथवा किसी शक्ति, जिसमें विवरणी, अंकेक्षण, सर्वे, कर निर्धारण, पुर्नकरनिर्धारण, छिपाये गये कर का निर्धारण, कर की वसूली, विवरणियों की संवीक्षा, सूद, जुर्माना एवं शास्ति, वसूली की विशेष रीति, लेखा का संधारण, निरीक्षण, तलाशी एवं जप्ती, प्रतिनिधि चरित्र का दायित्व, कर–वापसी, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय के मामले का विवरण, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील, अपराध का शमन एवं अन्य विविध मामले शामिल हैं, तद्नुसार उक्त अधिनियम के प्रावधान, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।''

भाग–3

बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा–4, जो कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से संबंधित है, में संशोधन।

14. बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा– 4 में संशोधन।

बिहार वित्त अधिनियम 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा– 4 में '3– क (ii)' तथा '(ii)' के स्थान पर क्रमशः **'3–क (ii) क'** तथा **'(ii) क'** पढ़ा जाए।

वित्तीय संलेख

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए कतिपय उपाय चिन्हित किए गये हैं जिनसे राजस्व में अभिवृद्धि लायी जा सके। इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसके 3 (तीन) हिस्से हैं-

भागः-1 बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन।

भागः-2 बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में संशोधन।

भागः-3 बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा–4, जो कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से संबंधित है, में संशोधन ।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है। उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व अभिवृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किये गये हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जहाँ कर की दरों के युक्तिकरण से राजस्व संग्रहण में उछाल आने की संभावना है। राजस्व अभिवृद्धि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए तीन अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। इन अधिनियमों में अलग-अलग संशोधन करने में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचने के लिए वित्त विधेयक के माध्यम से इन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य

पटना,
दिनांक 16 अप्रील, 2015

प्रभारी सचिव
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 494-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in